न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मुजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला -बालाघाट, (म.प्र.)

वि.आप.प्रक.कमांक-41 / 2012 संस्थित दिनांक-01.06.2012

श्रीमति वंदना नागोत्रा पति राजेन्द्र नागोत्रा, ग्राम उलट बहराई, थाना बरघाट, तहसील बरघाट, जिला-सिवनी (म.प्र.) हाल मुकाम–वार्ड ने 11, पानीटोला, पुलिस चौकी उकवा, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) आवेदिका

/ / विरूद्ध _//

1-राजेन्द्र पिता सावन नागोत्रा, आयु 29 वर्ष, 2-सावन पिता बैसाखू नागोत्रा, आयु 52 वर्ष, 3-सावित्री पति सावन नागोत्रा, आयु 50 वर्ष, 4-जितेन्द्र पिता सावन नागोत्रा, आयु 21 वर्ष, सभी निवासी-ग्राम उलट बहराई, थाना बरघाट, तहसील बरघाट, जिला-सिवनी (म.प्र.)

<u>(आज दिनांक-18/07/2014 को पारित</u>

- इस आदेश द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 12 1-घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 का निराकरण किया जा रहा है।
- प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि आवेदिका, प्रत्यर्थी क्रमांक-1 की 2-विवाहित पत्नी है तथा उनके दाम्पत्य जीवन से पुत्र निहाल उत्पन्न हुआ।
- आवेदिका का आवेदन इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण के द्वारा विवाह के पष्चात आवेदिका को एक माह का गर्भ था, उस समय चार पहिया गाडी व रूपयों की मांग को लेकर लकडी व हाथ-मुक्को से उसके साथ मारपीट की। दिसम्बर 2011 एवं जनवरी 2012 में प्रत्यर्थी क्रमांक-1 ने उसके नवजात शिशु को पटक कर लाथ से दबाकर जान से मारने की कोशिश की और उसे ससुराल से निकाल दिया। प्रत्यर्थीगण ने उसके चरित्र पर

कलंक लगाकर अश्लील गाली—गलौच करना, दहेज न लाने पर उसे अपमानित करना व मारपीट करना, उसके पहनने के जेवर को विक्रय कर घरेलू हिंसा कारित की। आवेदिका को प्रत्यर्थीगण से अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत मौद्रिक अनुतोष धारा—22 के अंतंगत स्त्रीधन की क्षति हेतु प्रतिकर दिलवाया जाये।

4— आवेदन के जवाब में प्रत्यर्थीगण की ओर से व्यक्त किया गया है कि उनके द्वारा घरेलू हिंसा से संबंधित आवेदिका के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया गया है। आवेदिका ने स्वयं स्त्रीधन व मार्कशीट अपनी पेटी में ताला बंद करके चाबी मायके लेकर गई है। प्रत्यर्थीगण के पास आय का पर्याप्त व ठोस साधन नहीं है, जिस कारण वह आवेदकगण को धनीय अनुतोष अदा करने में सक्षम नहीं है। प्रत्यर्थीगण ने आवेदिका के जेवर व कांसे की थालीयों का व्ययन नहीं किया है। आवेदिका स्वयं प्रत्यर्थी कमांक—1 के साथ दामपत्य जीवन निर्वाह नहीं करना चाहती तथा बिना कारण से अपने मायके में रह रही हैं। आवेदिका ने प्रत्यर्थीगण पर निराधार एवं झूंठा लांझन लगाकर आवेदन पेश किया है। अतः आवेदन पत्र निरस्त किया जावे। आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत 125(3) दंजप्र०सं० के अंतर्गत भरण—पोषण की वसूली का प्रकरण न्यायालय में लंबित है। अतः आवेदिका का आवेदन—पत्र निरस्त किया जाए।

5— आवेदन के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु है:-

- (1) क्या आवेदिका के साथ प्रत्यर्थीगण द्वारा घरेलू हिंसा कारित की गई है ?
- (2) क्या आवेदिका, प्रत्यर्थीगण से भरण पोषण एवं प्रतिकर की राशि प्राप्त करने की हकदार है ?
- (3) वादव्यय एवं सहायता ?

विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण

6— आवेदिका वंदना आ०सा० 1 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि उसका विवाह प्रत्यर्थी राजेन्द्र के साथ दिनांक—15.04.2009 को हुआ था। प्रत्यर्थीगण सावन उसका ससुर, सावित्री उसकी सास तथा जितेन्द्र उसका देवर है। विवाह के दो माह बाद से प्रत्यर्थीगण उसे ताना देने लगे कि दहेज में चौपहिया वाहन नहीं मिला है। दहेज की मांग को पूरा न करने पर प्रत्यर्थीगण उसे अश्लील गालियाँ देते हुए मारपीट करते थे।

उसने घटना की रिपोर्ट थाना बरघाट में लिखाने का प्रयास किया, किन्तु पुलिसवालों ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। वह मायके आ गई और वहां पर अपना ईलाज करवाया। नवम्बर 2010 को उसका पुत्र निहाल उत्पन्न हुआ, जिसकी सूचना ससुरालवालों को प्राप्त होने पर भी कोई मिलने नहीं आया। वह बच्चे को लेकर ससुराल पहुंची तो उसके पित ने उसके बच्चे को छीनकर फर्श पर पटक दिया और लाथ से दबाया। उसने बच्चे को बचाकर, वापस मायके आ गई और डर के मारे रिपोर्ट नहीं लिखायी। वह अपने मायके में दो साल से रह रही है, उसके पित ने उसका मंगलसूत्र, सात कांसे की थालीयाँ, कान के झुके और एक जोडी पायल बेच दिया है, जिसकी कीमत 40,000 / —रूपये उसे दिलाया जावे। उसके पित के विरुद्ध दायर भरण—पोषण हेतु धारा 125 द0प्र0सं0 के मुकदमा में भरण—पोषण राशि अदा करने का आदेश के बाद भी पित ने उसे कोई पैसा नहीं दिया। उसका पित ठेकेदारी कर 15—18 हजार रूपये प्रतिमाह आमदनी प्राप्त करता है और ससुर और देवर भी अलग से काम करके आय अर्जित करते है। उसने अपने समर्थन में दहेज की सूची प्रदर्श ए—1 पेश की है।

- 7— साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसके पित व ससुर की आय के सम्बंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है उसने उसके ससुराल व मायके के पुलिस थाने व चौकी में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी और न ही परिवार परामर्श केन्द्र में कोई लिखीत आवेदन पेश किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका स्त्रीधन पेटी व आलमारी में ताला लगाकर ससुराल में रखा हुआ है, जिसकी चाबी उसके पास है। साक्षी का स्वतः कथन है कि ससुरालम में रहते हुए पेटी व आलमारी का ताला तोड दिये थे। साक्षी के शेष कथन का प्रत्यर्थीगण की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है।
- 8— प्रत्यर्थीगण के द्वारा आवेदिका साक्षी के कथनों का खण्डन नहीं किया जा सका है तथा अपने बचाव में कोई साक्ष्य पेष नहीं की गयी है। प्रकरण में प्रस्तुत आवेदिका की साक्ष्य पर विष्वास ना करने का कोई कारण नहीं है जिससे यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थीगण के द्वारा आवेदिका के साथ अधिनियम में उपबंधित धारा—3 के अंतर्गत घरेलू हिंसा कारित की गयी है।

आवेदिका के द्वारा प्रत्यर्थी से अधिनियम की धारा-20 के अंतर्गत मौद्रिक 9-अनुतोष की मॉग की गयी है। न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा -23 के अंतर्गत प्रकरण के लंबित रहने के दौरान प्रत्यर्थी कुमांक-1 को आवेदिका के द्वारा मॉगे गये स्त्रीधन एवं आवेदिका की स्कूल अंकसूची लौटाने एवं 500 / -रूपये प्रतिमाह अंतरिम भरण-पोषण हेतु आदेषित किया गया था, जिसका पालन प्रत्यर्थी क्रमांक-1 के द्वारा नहीं किया गया है। इस प्रकार यह प्रकट होता है कि आवेदिका मौद्रिक अनुतोष के अंतर्गत प्रत्यर्थी क्रमांक-1 से दहेज की लिस्ट प्रदर्श ए-1 के अनुसार सामान वापसी की हकदार है। साथ ही आवेदिका स्त्रीधन, जेवर, कांसे की थालीयाँ के सामान के मूल्य के बराबर राशि 40,000 / —रूपये भी प्राप्त करने की हकदार है। चूंकि आवेदिका के पक्ष में धारा–125 द०प्र०सं० का आदेश पारित किया गया है और भरण-पोषण की राशि वसूली का प्रकरण न्यायालय में पृथक से लंबित है। ऐसी दशा में उक्त भरण–पोषण आदेश में आवेदिका व उसके पुत्र निहाल को 500-500 / -रूपये प्रतिमाह भरण-पोषण राशि अदायगी के संबंध में इस मामले में समायोजन किया जाना उचित होगा। आवेदिका ने प्रत्यर्थी क्रमांक-1 की आमदानी के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है तथा मौखिक साक्ष्य के आधार पर प्रत्यर्थी क्रमांक-1 की मासिक आय लगभग 6,000 / -रूपये प्रतिमाह होने की उपधारणा की जा सकती है।

10— प्रकरण में प्रत्यर्थीगण द्वारा आवेदिका के विरूद्ध घरेलू हिंसा कारित किया जाना प्रमाणित होता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 20 एवं 22 के प्रावधान अंतर्गत आवेदिका को प्रत्यर्थी से मौद्रिक अनुतोष के रूप में भरण पोषण राशि, स्त्रीधन की क्षित हेतु प्रतिकर राशि एवं वादव्यय की राशि प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। आवेदिका उक्त अनुतोष के अन्तर्गत ऐसी राशि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से प्राप्त करने की हकदार है, जो कि आवेदिका के जीवन स्तर के निर्वहन हेतु न तो विलासिता पूर्ण हो और न ही अभावग्रस्त हो बिल्क वह उसके पित के सामाजिक स्तर व चित्र के अनुसार सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके । अतएव आवेदिका का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 20 एवं 22 के प्रावधान अंतर्गत निम्नानुसार अनुतोष प्रदान किया जाता है:—

- (1) प्रत्यर्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदिका के साथ घरेलू हिंसा कारित करने से स्वयं तथा अपने परिवार के अन्य व्यक्तियों को निवारित रखे।
- (2) प्रत्यर्थी क्रमांक 1 भरण—पोषण के रूप में आवेदिका को राशि 500 / —रूपये (अक्षरी रूपये पांच सौ) प्रतिमाह आदेश दिनांक से अदा करें।
- (3) प्रत्यर्थी क्रमांक 1, आवेदिका को स्त्रीधन की क्षति के रूप में प्रतिकर एवं वादव्यय की राशि कुल 40,000 / —रूपये (अक्षरी रूपये चालीस हजार) भी एक माह के भीतर अदा करें।

आदेश की प्रति निःशुल्क आवेदिका को प्रदान की जावे एवं एक प्रति आदेष का प्रतिपालन कराये जाने हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, तहसील परसवाडा, जिला बालाघाट को प्रेषित की जावे।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

त अला) .श्रेणी, बैहर, ज्ञालाघाट जिला–बालाघाट